रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260785 SG-DL-E-07022025-260785

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2025

फा0 सं0 24/33/दिव्यां0/डीजीएचएस/मुख्य0 /2023/165.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 02 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 एसओ 3753 (ङ), राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45—घ की उपधारा (क) के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 49) की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों षिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जारी करने के प्रयोजनार्थ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 में यथा अधिसूचित प्रमाणन प्राधिकारियों के निर्णय के निमित्त अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित एवं अधिसूचित करते हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर.

डॉ. एस. बी. दीपक कुमार, सचिव

904 DG/2025 (1)

HEALTH AND FAMILY WALARE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 3rd February, 2025

F. No. 24/33/Disb/DGHS/HQ/2023/165.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central act 49 of 2016), read with sub-section (a) of section 45-D of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, S.O No. 3753(E) dated 2nd September, 2024 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India, Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby designates and notify the Director General Health Services, Govt. of NCT of Delhi as the Appellate Authority against the decision of Certifying Authority as notified in the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 dated 27th December 2016 for the purpose of issuance of disability certificate in NCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of Delhi,

Dr. S. B. DEEPAK KUMAR, Secy.